अपराह्न 12.01 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

220वां से 222वां प्रतिवेदन

श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी) : महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 220वां प्रतिवेदन;

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 216वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 221वां प्रतिवेदन; और

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 222वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया, दिनांक 8 सितंबर, 2010 को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का पद रिक्त होना था, क्योंकि उस दिन श्री प्रत्यूष सिन्हा का सेवा काल पूरा हो रहा था।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के तहत, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत होती है। यह नियुक्ति एक समिति, जिसमें प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, की सिफारिश के आधार पर की जाती है।

इस समिति की बैठक दिनांक 3.9.2010 को हुई थी। विपक्ष के नेता ने इस पर असहमति प्रकट की थी। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रपति ने श्री पी.जे. थॉमस को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। दिनांक 7 सितंबर, 2010 को उन्हें शपथ दिलाई गई।

श्री थॉमस की नियुक्ति के बाद, उच्चतम न्यायालय में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें श्री थॉमस की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने समिति की सिफारिशों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया तथा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर श्री पी.जे. थॉमस की नियुक्ति को निरस्त कर दिया।

अध्यक्ष महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हैं, और उसका सम्मान करते है। नये केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते समय सरकार न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, यह पर्याप्त नहीं है. ..*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं हैं.. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री पवन कुमार बंसल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब 'शून्य काल'। श्री शरद यादव।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उस व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामला लम्बित है...*(व्यवधान)* यह कैसे हुआ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव बोलेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब हम 'शून्य काल' में हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आपकी बात हो गई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हां, ठीक है। श्री शरद यादव।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : विपक्ष की नेता कुछ बोलना चाहती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष जी, सी.वी.सी. के ऊपर प्रैस कांफ्रेंस में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी ने जम्मू में जो कुछ कहा था, हम सब लोग यह एक्सपैक्ट कर रहे थे कि वही बात वे संसद में भी कहेंगे, लेकिन मैं हैरान हूं, प्रधानमंत्री जी, आपका आज का बयान तो जम्मू के बयान से बिल्कुल भिन्न है। वहां जो बात आपने कही थी, उस पर मैंने रैस्पोंड भी किया था, लेकिन मैं आज एक्सपैक्ट कर रही थी कि आज वही बात आप संसद में कहेंगे। वहां आपने कहा था कि आप अपनी रैस्पोंसिबिलिटी ओन कर रहे हैं, स्वयं अपनी जिम्मेदारी ओन कर रहे हैं। आपने यह भी कहा था कि आपका एक लम्बा कार्यकाल रहा है। इस तरह के कार्यकाल में कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह भी एक ऐसी ही गलती है और आपने यह भी कहा था कि हम ऐसी गलतियां भविष्य में नहीं करेंगे। ये दो बातें जब आपकी आईं तो मैंने तुरन्त रैस्पोंड किया था कि अगर प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो इसके बाद मामला समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत हैरानी है कि आपने उनमें से एक भी बात आज संसद में नहीं कही, जो बात आपने बाहर कही। वह बात आपको संसद में कहनी चाहिए। जो बात आपने सार्वजनिक रूप से कही, वह बात आपको संसद में भी कहनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैंने जम्मू में जो कुछ कहा था, उसे दोहराने में मुझे कोई हिचक नहीं है। स्पष्टतया निर्णय में त्रुटि हुई है और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मैं लेता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : प्लीज बैठ जाइये, बसुदेव आचार्य जी।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

25वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : अध्यक्ष महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : अब, हम 'शून्य काल' में चर्चा कर रहे हैं।

श्री शरद यादव।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : नहीं कृपया आप बैठ जाइए, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।